संख्या-75/2016/1142/26-3-2016-10(10)/2005टी.सी.-1

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांकः 13 अप्रैल,2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-20/स0क0/विकास/रा0आ0प0वि0 संचालन/2016-17, दिनांक-11.04.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन हेतु निम्न विवरण के अनुसार प्राविधानित धनराशि रूपया-1,21,78,15,000/- (रूपया-एक अरब इक्कीस करोड़ अठहत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र) के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रू0 में)

अनुदान संख्या/योजना/मद का नाम	आय- व्ययक प्राविधान 2016-17	स्वीकृत धनराशि 2016-17
अनुदान संख्या-83-आयोजनागत-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-78-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय		
01-वेत्न	42382	42382
02-मजदूरी	43000	43000
03-मंहगाई भत्ता	57640	57640
04-यात्रा व्यय	390	390
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय-	173	173
06-अन्य भत्ते	5043	5043
07-मानदेय-	100	100
08-कार्यालय व्यय-	1200	1200
09-विद्युत देय	5200	5200

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10-जलकर/जल प्रभार	150	150
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1200	1200
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	90	90
13-टेलीफोन पर व्यय	105	105
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	210000	210000
17-किराया, उपशुक्ल्क और कर स्वामित्व	17	17

(रूपये एक अरब इक्कीस करोड़ अठहत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र)

(1) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016, में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइन्सेसियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये। संभावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव है, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर उपलब्ध हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाये। स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि से विद्यालयों के उपयोगार्थ सामग्री एवं सम्पूर्ति आदि का क्रय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा स्टोर परचेज रूल्स के तहत किया जायेगा।

(4) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(5) पूर्व वर्षो में स्वीकृत धनराशियां यदि अभी भी पी0एल0ए0/बैंक खातों एवं पोस्ट आफिसों में जमा है तो उनका उपयोग सुनिश्चित करने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत/प्राप्त होने पर ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किया जाये।

(6) उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनागत-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016, में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

संख्या-75/2016/1142/(1)/26-3-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, समाज कल्या, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय व्ययक)अनुभाग-1/2
6- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2
7- निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
8- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण उ0प्र0 शासन।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।